न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—18 / 2024 / 225 आर.टी.एक्ट (2024 / 18)

1. श्रीमती पूनम जाखोडिया (गौड ब्राहम्ण) पुत्री हजारी लाल जाखोडिया, निवासी संतोषी माता मंदिर के पास, मैन मार्केट, पिलानी, झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1. छोटू लाल शर्मा पुत्र लादूराम शर्मा, निवासी अरनिया, तहसील केकडी, जिला केकडी।
2. सभ्यता शर्मा पुत्री छोटू लाल शर्मा
3. अभिनव शर्मा पुत्र छोटू लाल शर्मा
   दोनों निवासी अरनिया तहसील केकडी जिला केकडी जरिए तथाकथित संरक्षक पिता छोटू लाल शर्मा पुत्र लादूराम शर्मा निवासी अरनिया तहसील केकडी, जिला केकडी।
4. उप—पंजीयक केकडी जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी, विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.01.2024 राजस्व वाद संख्या 168 / 2023(2023 / 475)

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोडा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 नाबालिग जरिए संरक्षक रेस्पोडेंट संख्या 01

निर्णय

दिनांकः— 24.06.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 168 / 2023(2023 / 475) में पारित आदेश दिनांक 16.01.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश दिनांक 16.01.2024 को पारित किए गए। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 168 / 2023(2023 / 475) में पारित आदेश दिनांक 16.01.2024 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 का सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात से किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 9380/1119 रकबा 0.0950 हैक्टर को पैत्रक सम्पत्ति होना वर्णित करते हुए वाद व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि वादग्रस्त आराजी अपीलांट/प्रतिवादी की स्वयं की खरीदशुदा खातेदारी की आराजीयात रही है, ना ही यह संयुक्त रूप से क्रय की गई है। मिताक्षरा विधि के अनुसार महिला को कॉपासनेरी नहीं होती है व ना ही उसकी सम्पत्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में सम्मिलित की जा सकती है। वादग्रस्त आराजीयात को अपीलांट द्वारा स्वयं की जमापूंजी व स्त्रीधन से क्रय किया है जिस पर उनके जीवनकाल मे अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का भी किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 अपीलांट के साथ ही निवास कर रहे है जिनके अधिकारों व भरण पोषण बाबत उक्त सम्पत्ति के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने बाबत प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के साथ किसी भी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य आराजीयात खसरा सं. 9380/1119 रकबा 0.0950 हैक्टर के पैत्रक सम्पत्ति होने बाबत प्रस्तुत नहीं किया है वरन पंजीकृत विक्रय पत्र के उपरोक्त आराजी की पृथक से कोई रसीद नहीं है व उक्त विक्रय पत्र ही नगद राशि प्राप्त कर निष्पादित किया है, अंकन किया हुआ है। स्वयं अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य धारा 13 हिन्दुविवाह अधिनियम के तहत दिनांक 2.8.2023 को विवाह विच्छेद की डिक्री पारित हो चुकी है एवं पूर्व में हुए विवाद मे उक्त सम्पत्ति को स्वंय की होने बाबत किसी प्रकार का कथन अंकन नहीं किया है। एकमात्र अपीलांट की स्वअर्जित सम्पत्ति को विवाह विच्छेद के पश्चात हडप किए जाने की नियति से वाद व स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमे प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर आक्षेपित निर्णय से अपीलांट को उनकी खातेदारी आराजीयात से महरूम किये जाने के आदेश पारित किये गये है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोंडेंट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष राजस्व वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु खातेदारी की आराजीयात में स्वयं के हिस्से पर कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी नहीं किया जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत राजस्व वाद एवं प्रार्थना पत्र का जवाब अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र पर बिना प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओं का निस्तारण किये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाये जाने में त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान कातश्कारी अधिनियम बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति तीनों बिन्दुओं पर विधिवत रूप से विवेचन करते हुये किया जाना चाहिये था। वादग्रस्त आराजीयात से रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 अथवा उनके पिता का अपीलांट के जीवनकाल में कोई सरोकार नहीं है। वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजीयात अपीलांट की स्वअर्जित खातेदारी की आराजीयात है, अतः उक्त बाबत बिना दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये विचारण न्यायालयों द्वारा आक्षेपित निर्णय से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलांट को पाबंद फरमाये जाने में त्रुटि कारित की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार आराजीयात पर काबिज काश्त है जिसे रेस्पोडेण्ट द्वारा स्वयं के द्वारा खातेदार एवं काबिज काश्त होना वर्णित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण आराजीयात जिससे रेस्पोडेण्ट का कोई सरोकार नहीं है, के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट वादग्रस्त आराजीयात पर खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त है जिन्हें उनके खातेदारी अधिकारों से महरूम करने की नियत से प्रस्तुत वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने में त्रुटि कारित की गई है, जो की निरस्तनीय है। प्रस्तुत राजस्व वाद में मिथ्या कथनों के आधार पर जवाब दावे में वर्णित कथनों के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्यों को अनदेखा कर न्यायिक प्रक्रिया

का दुरूपयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जो कि विधि विरूद्ध होने से न्यायालय में निहित असीमित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के हक एंव अधिकारों के विरूद्ध निर्णय पारित करने में क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेण्ट जिसका वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का सरोकार नहीं है एवं राजस्व वाद में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा की आड़ में अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजीयात में निहित खातेदारी अधिकारों से महरूम किया जा रहा है। अतः न्यायालय के समक्ष जरिये अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये जाने के अतिरिक्त अपीलान्ट के समक्ष अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजीयात में खातेदार की हैसियत से निहित हिस्से के उपयोग एवं उपभोग बाबत् किसी भी रूप में रेस्पोडेण्ट को दौराने वाद अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी किये जाने बाबत छुट प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फर्जकारी रूप से किये गये राजस्व वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर ही वाद पत्र का अंतिम निस्तारण करते हुए अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात खसरा सं. 9380/1119 रकबा 0.0950 हैक्टर में समाहित करना पाया जाता है वर्णित करते हुए अभिलेख में रहे अंकन को महत्ता प्रदान नहीं करते हुये दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार फरमाये जाने में त्रुटि कारित की गई है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 168/2023(2023/475) में पारित आदेश दिनांक 16.01.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादीगण ने एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक चाही गई। वादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवदी संख्या 1 के पक्ष में उपरोक्त अंकित आराजीयात श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोविंदराम तेली व श्रीमती नीतू कोठारी पत्नी श्री सुशील कोठारी जाति महाजन निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर से दिनांक 26.7.2019 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से राशि 8 लाख अक्षरे वादी संख्या 1 ने नकद अदा कर क्रय की थी और स्वयं राजकीय नौकरी में होने से एवं बच्चों के अवयस्क होने से प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी के नाम पर उक्त आराजीयात खरीदी थी। वादी संख्या 1 व प्रतिवादी सख्या 1 के मध्य विगत 3–4 वर्षों से वैचारिक मतभेद चल रहे है तथा प्रतिवादी सख्या 1 अन्य व्यक्तियों के बहकावे एवं प्रभाव में है इस कारण से अभी हाल ही में यह तथ्य जानकारी में आया है कि वादी संख्या 01 द्वारा राशि अदा कर हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पति के रूप में पैरा संख्या 01 में अंकित आराजियात प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में क्रय कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित कराया था को प्रतिवादी संख्या 01 किसी भी अन्य व्यक्ति को बेचान, रहन बय बक्षीस या अन्य किसी तरह से सम्पति को हस्तांतरण कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से क्रय की उक्त आराजियात वादी संख्या 01 द्वारा अपने स्वअर्जित आय से खरीद कर अपने संयुक्त परिवार की सम्पदा के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 उक्त आराजीयात की संयुक्त स्वामी है तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज है। लेकिन वादी संख्या 01 काबिज है एवं उपयोग उपभोग कर रहा है। इस प्रकार उक्त सम्पदा संयुक्त परिवार की सम्पदा होने से वादीगण अपने पक्ष में हक व अधिकार की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 01 विगत 3 वर्षों से वादी संख्या 01 से वैचारिक असमानता एंव मतभेद होने से उक्त आराजीयात के उपयोग उपभोग में आये दिन दखलअंदाजी

करने की तथा वादीगण की आराजीयात को नाजायज रूप से कब्जा कर उसे अन्य को रहन बेचान करने की धमकीयां अन्य व्यक्तियों के प्रभाव में आकर दे रही है इस कारण से उसके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। वादी संख्या 01 द्वारा वादी संख्या 2–3 नाबालिग पुत्र पुत्रीयों के भविष्य हितार्थ उक्त आराजीयात की राशि अदा कर प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में क्रय की थी लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 के मन में फितुर आ जाने से व अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आने से वह उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिससे वादी संख्या 01 व वादी संख्या 2 व 03 की हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पदा को खुर्द बुर्द करना चाहती है जो कि विधि विरुद्ध है। इस कारण प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे एंव वादीगण के पक्ष में हिन्दू संयुक्त परिवार सम्पदा का बंटवारा होने एवं वादीगण को अपने हक हिस्से का खातेदार घोषित करने तक तथा प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात किसी अन्य व्यक्तियों को हस्तातरण नहीं कर वादीगण को बैकब्जा नहीं करे। वादीगण के कब्जे काश्त से दखल पैदा न करें, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हक व हिस्सा है इस अमर की प्रारम्भिक डिकी सादिर फरमा मिट्स एण्ड बाउण्ड से बंटवाड़ा करा कब्जा देने की अंतिम डिक्री सादिर फरमायी जावे व राजस्व नक्शे में इसी अनुसार तरमीम करवाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी सं. 03 लेण्ड होल्डर है और राजस्व रिकॉर्ड का संधारणकर्ता है। वादग्रस्त आराजीयात का बंटवाडा करा राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से अनुसार नाम दर्ज करवाना है व नक्शे में हिस्से अनुसार तरमीम करवाना है इसलिए पक्षकार बनाया है कि वादीगण को बिना वाद प्रतिवादीगण सं. 01 द्वारा भूमि बगैर बंटवाड़ा किये व वादीगण के हक व हिस्से की भूमि विक्रय करने की धमकी देने व वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने की दिनांक 7/09/2023 से उत्पन्न होकर जारी है। प्रतिवादी संख्या 03 के विरूद्ध भी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाना आवश्यक है कि वह प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत की गयी उक्त आराजीयात के हस्तातरण के सबंध में किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नहीं किया जावे। वादग्रस्त आराजीयात ग्राम केकड़ी पटवार हल्का केकड़ी तहसील व जिला केकड़ी में स्थित है अतः दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाने बाबत निवेदन कर वादीगण के पक्ष में उक्त हिन्दू अविभक्त सम्पदा का मालिक घोषित किया जावे कि ग्राम केकडी पटवार हल्का केकड़ी जिला कंकडी की आराजी संख्या 9380/1119 रकबा 0.0950 हैक्टर भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। जो वादीगण की अविभक्त सम्पतदा है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हक व हिस्सा निहित है। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमावे कि उक्त वादपत्र में उल्लेखित उक्त आराजीयात के किसी भी हिस्से को प्रतिवादी संख्या 1 विक्रय न करे भार सृजित न करे वादीगण के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न न करे वादीगण को बेदखल न करे ना ही किसी अन्य से करावें प्रतिवादी संख्या 3 को आदेशित फरमावे हक हिस्से अनुसार घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण को काश्तकार के रूप में 1/4 हक हिस्सा यानि की कुल 3/4 हिस्सा का अंकन कर दिला नक्शे में तरमीम करने व प्रतिवादी संख्या 3 को आदेशित करे की प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरण करने बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उसका पंजीयन न करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है तथा न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के आदेश दिनांक 16.01.2024 को पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कथन किया गया कि उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 9380/1119 रकबा 0.0950 है0 वाकै ग्राम जंगल तहसील केकडी व जिला अजमेर में अवस्थित है। उक्त आराजीयात को अपीलांट द्वारा जरिए नकद राशि के सुरेन्द्र कुमार व श्रीमती नीतू कोठारी से दिनांक 26.7.2019 को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिफल नकद अदा कर क्रय की गई है। उक्त आराजीयात अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज है। उक्त आराजीयात पूर्ण रूप से अपीलांट के ही कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजीयात है।

न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किए जाने पर यह तथ्य दृष्टिगत होते हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेंट पति पत्नि थे। पारिवारिक न्यायालय अपर जिला न्यायालय गुलाबपुरा भीलवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 के विरूद्ध विवाह विच्छेद की डिक्री दिनांक 02.08.2023 को पारित की गई। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कहे गए कथन दस्तावेजों से प्रमाणित होते है। परंतु चूंकि उक्त प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य पूर्व में पति पत्नि के संबंध थे तो उक्त प्रकरण में अपीलांट अपनी अपील के माध्यम से यह साबित नहीं कर पाए है कि किस प्रकार से उक्त आराजीयात संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो वर्तमान रेस्पोडेंट के हक अधिकारों का हनन होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है चूंकि यदि उक्त आराजीयात का कहीं अन्यत्र रहन, बय या बक्शीश किया जाता है तो अपीलांट के बजाय वर्तमान रेस्पोडेंट को भारी आर्थिक हानि होने की प्रबल संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अपीलांट को उक्त आराजीयात बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक वाद बहुलता भी नहीं बढेगी जो कि उचित है। चूंकि उक्त प्रकरण का मूल निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर किए गए निर्णय पश्चात होना है कि उक्त आराजीयात में किस पक्ष के हक अधिकार निहित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है, हाजा न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय को यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 168/2023(2023/475) में पारित आदेश दिनांक 16.01.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर